P. CHIDAMBARAM) : (a) to (c) As per available information, as on 28-2-1989, there were 22 posts of Chief Executives (Level-I) and 34 posts of Functional Directors (Level-II) vacant in Central Public Enterprises. This does not include posts kept in abeyance. It is not correct to say that these posts have been kept vacant for a long time.

Vacancies at the level of Chief Executives and Functional Directors in Central Public Enterprises arise due to various reasons—superannuation of incumbents, resignation, non-extension of tenure and the lateral transfer of executives from one public enterprise to another etc. Appointment to vacant posts are being made by Government after following the established procedure which include selections by Public Enterprises Selection Board, verification of character and antecedents of persons recommended for appointment before final appointments are made. Sometimes persons appointed take time to join or refuse to join which results in delay in filling up of the posts. Sometimes to attract suitable talent, press advertisements are also issued which require time for processing such selections.

Advance action for filling up the vacancies where they can be anticipated and time schedule has also been laid down for processing such selections.

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर

@3048. **श्री शरद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कितने दिहाड़ी मजदूर हैं ;

(ख) दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या-क्या नियम हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कई दिहाड़ी मजदूरों द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों को पूरा कर लिए जाने के बावजूद उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दिहाड़ी वाले मजदूरों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप में नही रखी जाती है ।

(ख) नैमित्तिक कामगारों को समूह "घ" पदों पर नियमित करने के उद्देश्य से पूरी की जाने वाली शर्तें विवरण में दी गई हैं । (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) समूह "घ" पदों पर नैमित्तिक कामगारों का नियमन समूह "घ" के रिक्त पदों पर उपलब्धता पर निर्भर करता है । अतः कोई भी नैमित्तिक कामगार नियमित नियुक्ति की निर्धारित शर्तें पूरी करने के बावजूद भी खाली पदों के अभाव में नमित्तिक कामगार के रूप में बना रह सकता है ।

विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, समूह 'घ' पदों पर नैमित्तिक दिहाड़ी वाले मजदूरों को नियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहियें :

(1) किसी नैमित्तिक कामगार की नियुक्ति समूह 'घ' पद पर नियुक्ति की तारीख को उसने पूर्ववर्ती दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दिहाड़ी वाले

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न संख्या 2731, 17 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।

कामगार के रूप में कम से कम 240 दिन (5 दिन के सप्ताह का अनुपालन करने वाले कार्यालयों में नियुक्ति नैमित्तिक कामगार के मामले में 206 दिन) की सेवा कर ली हो ।

(2) वह नियमित पद पर नियुक्ति की तारीख को अधिकतम आयु सीमा के भीतर आता हो । इस प्रयोजन के लिए दिहाड़ी वाले कामगार के रूप में उसके द्वारा व्यतीत की गई अवधि को उसकी वास्तविक आयु में से कम कर दिया जाता है ।

(3) वह पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।

(4) नैमित्तिक कामगार के रूप में उसकी नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से हुई हो । 7-5-1985 से पहले नियुक्ति किए गए दिहाड़ी वाले मजदूरों के संबंध में इस अपेक्षा को एक एकमुश्त उपाय के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

मार्शल बाजार, दानापुर में मुस्लिम कब्रिस्तान में बच्चों के एक पार्क का बनाया जाना

3049. **श्री मौलाना असद मदनी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्शल बाजार, दानापुर छावनी बोर्ड के एक मुस्लिम कब्रिस्तान में, जहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों की कब्रें तथा एक इमामबाड़ा विद्यमान है, बच्चों का एक पार्क बनाया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा मार्शल बाजार कब्रिस्तान समिति को कितनी भूमि का आवंटन किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि बिहार के संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों और दानापुर के कुछ मुस्लिम नागरिकों ने इस संबंध में रक्षा मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) (क) से (ग) : 1. बच्चों का पार्क मार्शल बाजार में है न कि मुस्लिम कब्रिस्तान में । पार्क के बाड़े वाले क्षेत्र में पांच प्लेटफार्म हैं । यह पता नहीं है कि ये कब्रें हैं । इमामबाड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान में है न कि पार्क में । मुस्लिम कब्रिस्तान का क्षेत्र 03,382 वर्ग फुट का है ।

2. बिहार के विधायकों से प्राप्त पत्रों में निम्नलिखित मामले उठाए गए :—

(1) छावनी क्षेत्र में गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां नियमित रूप से साफ नहीं की जातीं, सड़कें टूटी-फूटी हैं, छावनी कार्यपालक अधिकारी और सफाई सर्वेक्षक नियमित दौरा नहीं करते और महामारी के प्रकोप की संभावना है ;

(2) छावनी में भ्रष्टाचार व्याप्त है ; और

(3) क्या बच्चों का पार्क मौजूदा कब्रिस्तान में विकसित किया गया है ? इस पार्क की कीमत कितनी है ? इस पार्क में कितनी कब्रें मौजूद हैं ?

3. विधान परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) कूड़ा दूर किया जा रहा है और नालियां नियमित रूप से साफ की जाती हैं, बस स्टैंड की सड़क की मरम्मत की गई हैं, निधि उपलब्ध होने पर अन्य सड़कों की मरम्मत की जाएगी, छावनी क्षेत्र का सहायक स्वास्थ्य अधिकारी मासिक दौरा करते हैं और सफाई सर्वेक्षक प्रतिदिन दौरा करते हैं, कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं ।